फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री ईश्वरलाल पिता श्री अर्जुनलाल जी श्रीमाल निवासी वार्ड नं. 19, बाण्डी होली का स्थान, देवगढ़ पो0 देवगढ़(मदारिया) जिला राजसमन्द (राज.) **– अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 21/2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 05.05.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से जरिये पत्र क्रमांक सूकाअ/03/2025/25 दिनांक 09.04.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्री ईश्वरलाल पिता श्री अर्जुनलाल जी श्रीमाल निवासी गांव देवगढ़ मु.पो. देवगढ़ (मदारिया) तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द 313331 के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक सूकाअ/03/2025/24 दिनांक 26.03.2025 द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है।

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना उपलब्ध रिकोर्ड के अनुसार जरिये पत्र क्रमांक सूकाअ/03/2025/24 दिनांक 26.03.2025 के लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवा दी जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)